न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– रोहिताश्व सिंह तोमर (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 04/2025

बउनवान

कमल कुमार शर्मा आयु 49 वर्ष पुत्र श्री शान्ति स्वरूप शर्मा जाति ब्राहमण निवासी रामनगर कॉलोनी तेलफैक्ट्री बारां तहसील बारां जिला बारां पेशा उचित मूल्य दुकानदार–बारां शहर जिला बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये जिला रसद अधिकारी, बारां जिला बारां (राज.) (रेस्पोंडेंट)

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 16.04.2024 कार्यालय जिला रसद अधिकारी बारां अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत

उपस्थिति :–1. श्री रामसिंह ऐरवाल, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार रसद (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 03.03.2025

1– अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट का लाईसेन्स उचित मूल्य दुकानदार बारां शहर दिनांक 16.4.2024 को आदेश पारित कर समस्त प्रतिभूति राशि जप्त की जाकर प्राधिकार पत्र संख्या 407/2008 तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। उक्त आदेश कानून व तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का वितरण का विनियमन का आदेश 1976 की धारा 8 के प्रावधानो का पूर्णतः पालन नहीं किया है। आरोपित बिन्दुओ का एवं कारण बताओ नोटिस का भी अपीलान्ट ने जवाब दिया अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार को निगम द्वारा हर माह 2 से 3 किवं गेहूँ कम दिया जाता है तथा कुछ गेहूँ दुकान में सीलन के कारण खराब हो गया। इस कारण अपीलान्ट अटेचमेन्ट डीलर को नहीं सम्भला सका। उसके बावजूद भी अपीलान्ट को स्टॉक 41104.7 गेहूँ का दोषी माना जावे तो अपीलान्ट उसकी भरपाई करने को आज भी तैयार है। किन्तु अपीलान्ट को उक्त गेहूँ की भरपाई करने का अवसर नही दिया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र 407/2008 को निरस्त कर उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि प्रवर्तन निरीक्षक बारां की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं है अपीलान्ट के वितरण कार्य से समस्त उपभोक्ता सन्तुष्ट है उन्हे सही समय पर सही मात्रा मे निर्धारित दर से राशन सामग्री वितरण की जाती रही है। केवल मात्र निगम द्वारा अपीलान्ट को हर माह 2–3 किवं गेहूँ कम भिजवाये जाने के कारण स्टॉक अपीलान्ट के पास नही मिला। जिसके लिये अपीलान्ट को दोषी माना गया है इस प्रकार वर्ष 2016 से वर्ष दिसम्बर 2023 तक निगम द्वारा अपीलान्ट को करीबन 200–250 किव० गेहू कम दिया है तथा कुछ गेहूँ दुकान में सीलन के कारण खराब हो चुका है किन्तु उसके बावजूद भी अपीलान्ट उक्त गेहूँ 10 किं० की पूर्ति प्रतिमाह करने को तैयार है इसलिये अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 407/2008 बारा शहर को बहाल किया जाकर अपीलान्ट को राशन सामग्री की सप्लाई के आदेश जारी किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा तथा अपीलान्ट को जो भी कमीशन मिलता है [illegible] पूर्ति किये जाने में अपीलान्ट को कोई एतराज नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश [illegible] पत्र पुनः बहाल किया जाना विधिसंगत एवं न्यायहित में होगा। [illegible] अपील प्रस्तुत [illegible] निवेदन है अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय, श्रीमान जिला रसद अधिकारी महोदय, बारां का आदेश दिनांक [illegible].2024 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.21 13:08:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

निरस्त फरमाने की कृपा करे एवं अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकानदार शहर बारां का प्राधिकार पत्र बहाल करने की कृपा करें

2— इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद सुनी गयी।

3— बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का वितरण का विनियमन का आदेश 1976 की धारा 8 के प्रावधानो का पूर्णतः पालन नहीं किया है। निगम द्वारा हर माह 2 से 3 क्विं गेहूँ कम दिया जाता है तथा कुछ गेहूँ दुकान में सीलन के कारण खराब हो गया। इस कारण अपीलान्ट अटेचमेन्ट डीलर को नहीं सम्भला सका। अपीलान्ट को उक्त गेहूँ की भरपाई करने का अवसर नही दिया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र 407/2008 को निरस्त कर उक्त निर्णय पारित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं है अपीलान्ट के वितरण कार्य से समस्त उपभोक्ता सन्तुष्ट है उन्हे सही समय पर सही मात्रा मे निर्धारित दर से राशन सामग्री वितरण की जाती रही है। केवल मात्र निगम द्वारा अपीलान्ट को हर माह 2—3 क्विं गेहूँ कम भिजवाये जाने के कारण स्टॉक अपीलान्ट के पास नही मिला। जिसके लिये अपीलान्ट को दोषी माना गया है इस प्रकार वर्ष 2016 से वर्ष दिसम्बर 2023 तक निगम द्वारा अपीलान्ट को करीबन 200—250 क्विं० गेहू कम दिया है तथा कुछ गेहूँ दुकान में सीलन के कारण खराब हो चुका है किन्तु उसके बावजूद भी अपीलान्ट उक्त गेहूँ 10 किं० की पूर्ति प्रतिमाह करने को तैयार है इसलिये अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 407/2008 बारा शहर को बहाल किया जाकर अपीलान्ट को राशन सामग्री की सप्लाई के आदेश जारी किया जाना विधि संगत एवं न्यायहित में होगा तथा अपीलान्ट को जो भी कमीशन मिलता है उससे भी पूर्ति किये जाने में अपीलान्ट को कोई एतराज नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार रसद ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस भी पेश किया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट ने स्वंय अपील में स्वीकार किया है कि 200—250 क्विं. गेंहू कम होने तथा कुछ गेंहू दुकान में सीलन होने से खराब होने के कारण अटेचमेन्ट डीलर को नहीं संभलाया जा सका। ऐसी स्थिति में पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा नियमानुसार ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट का तर्क कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। जबकि अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये हैं। तथा अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस भी पेश किया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट ने स्वंय अपील में स्वीकार किया है कि 200—250 क्विं. गेंहू कम होने तथा कुछ गेंहू दुकान में सीलन होने से खराब होने के कारण अटेचमेन्ट डीलर को नहीं संभलाया जा सका।ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है तथा अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 03.3.2025 को [illegible] कर सेर इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.03.21 13:08:29 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

जिला कलक्टर बारां (राज०)